

12037/6-2-96

(2)

रजिस्ट्री सं. डी. एन.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95



Accepted from GOI Publications

01451

16/8/95

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

P.O 550

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

सेक्शन 207

प्राधिकार से प्रकाशित

कम 30

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.P. 8-320

सं. 401]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 1995/आषढ 19, 1917

No. 411]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1995/ASADHA 19, 1917

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1995

का. आ. 620(अ).—राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 1 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1995 वह तिथि निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. 61-37/94-डेस्क (टी.ई.)]

डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

(i)

1666GI/95

Attest

Gm 25/11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1995

S.O. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 1995 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 61-37/94-Desk (TE)]

DR. R.V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy.

A. H. S. Puri
S. V. S. Puri
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-84